न्यायालय उपखण्ड अधिकारी भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारी— अक्षत कुमार सिंह, आई.ए.एस.

... नम्बर	दायर दिनांक	निर्णय दिनांक
.../2025 प्रा० पत्र	06.03.2025	16/3/2026

उनवान

... पत्नी नारायण लाल गाडरी, निवासी ...नगर, ...खेड़ा, भीलवाड़ा।

बनाम — प्रार्थीया

...राज्य जरिये तहसीलदार भीलवाड़ा (राज.)
...मी तौरी बाई पत्नी किशन लाल भील, निवासी किशनावतों की खेड़ी तहसील व ... भीलवाड़ा।
... देवी पत्नी श्यामलाल भील, निवासी पार्वतीपुरा तहसील व जिला भीलवाड़ा।
... पुत्र हेमा भील, निवासी रामपुरिया तहसील व जिला भीलवाड़ा।
... पत्नी दीपा भील, निवासी गुरला तहसील व जिला भीलवाड़ा।
...लाल पुत्र शंकर भील, निवासी गुरलां तहसील व जिला भीलवाड़ा।
... पुत्र हेमा भील, निवासी गुरलां तहसील व जिला भीलवाड़ा।
...लाल पुत्र शंकर भील, निवासी गुरला तहसील व जिला भीलवाड़ा।
...दु पत्नी शंकर भील, निवासी गुरलां तहसील व जिला भीलवाड़ा।
...मा पुत्री शंकर भील, निवासी गुरलां तहसील व जिला भीलवाड़ा।
...नी पुत्री मोहन भील, निवासी गुरलां हाल निवासी देवा खेड़ा तहसील व जिला भीलवाड़ा।
...ता पुत्री मोहन भील, निवासी गुरलां हाल निवासी देवा खेड़ा तहसील व जिला भीलवाड़ा।
...क लाल पुत्र मोहन भील, निवासी गुरला हाल निवासी देवा खेड़ा तहसील व जिला भीलवाड़ा।
...ला पुत्री मोहन भील, निवासी गुरला हाल निवासी देवा खेड़ा तहसील व जिला भीलवाड़ा।

— विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251—ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित :—

1—अधिवक्ता प्रार्थी श्री शिव सिंह चारण, उपस्थित।
2—विपक्षी संख्या 02 से लगायत 14 उपस्थित नहीं।
3—विपक्षी संख्या 01 की ओर से पैरोकार सरकार उपस्थित।

—:: **निर्णय** ::—

संक्षिप्त मे प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीया ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251—ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत विपक्षीगण के विरूद्ध प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि प्रार्थीया के हक अधिकार एवं अधिपत्य की खातेदारी कृषि आराजी संख्या 04, 05, 06 कुल किता 03 कुल रकबा 1.7578 हैक्टेयर एवं आराजी नम्बर 07, 08 कुल किता 02 कुल रकबा 2.6554 हैक्टेयर भूमि जो कि वाके ग्राम नेगाला, पटवार हल्का मांगलगढ़, तहसील व जिला भीलवाड़ा मे स्थित है जिस पर प्रार्थीया काबिज होकर काश्त करती चली आ रही है।

उपखण्ड अधिकारी
भीलवाड़ा

उक्त आराजीयात पर आने जाने के लिए रास्ता जिसके आराजी संख्या 27 है, से आराजी संख्या 1107/26 से होकर आराजी संख्या 1099/26 मे होते हुए आराजी संख्या 21 मे होते हुए आराजी संख्या 18 से होकर प्रार्थीया की उक्त वर्णित आराजी 19 मे आते जाते है। उक्त रास्ता 30 फीट चौडा है, जो वर्षो से विद्यमान है जिसका उपयोग प्रार्थीया अपनी आराजियात पर आने जाने के लिए करती चली आ रही है। उक्त रास्ते से ही प्रार्थीया अपने कृषि उपकरण एवं कृषि साधनों व कृषि उत्पाद को लाने के लिए बैलगाडी, ट्रेक्टर आदि साधनों के माध्यम से लाते ले जाते रही है। उक्त रास्ता ही प्रार्थीया की उक्त वर्णित कृषि आराजियात मे आने जाने का एक मात्र रास्ता है तथा इसी रास्ते का उपयोग प्रार्थीया कई वर्षो से करती चली आ रही है। इसके अलावा अन्य कोई रास्ता प्रार्थीया की आराजी मे आने जाने के लिए एवं कृषि उत्पाद को लाने के लिए एवं कृषि उपकरण को लाने ले जाने के लिए मौजूद नही है। प्रार्थीया की आराजीयात पर आने जाने का रास्ता आराजी संख्या 1107/26, 1099/26, 21, 18 मे से होकर गुजरता है जो कि राजस्व रेकार्ड मे विपक्षीगण के नाम दर्ज है, किन्तु विपक्षीगण प्रार्थीया की आराजी संख्या 08 पर आने जाने के कई वर्षो से चले आ रहे हुए रास्ते को बन्द करने एवं उक्त रास्ते का उपयोग उपभोग मे बाधा कारित कर रहे है। विपक्षीगण ने दिनांक 15/01/2025 को रास्ता बन्द करने की धमकी दी। यदि विपक्षीगण ने उक्त रास्ते को बन्द कर दिया तो प्रार्थीया अपनी आराजियात पर आ जा नही सकेगी और न ही कृषि उपकरण और कृषि उत्पाद को अपनी आराजियात से ला सकेगी और प्रार्थीया अपनी आराजियात पर फसल काश्त करने से भी महरूम हो जावेगी। जिससे प्रार्थीया को भारी आर्थिक एवं मानसिक संताप सहन करना पडेगा। इस कारण राजस्व रेकार्ड मे रास्ता दर्ज करवाने बाबत् यह प्रार्थना पत्र पेश है।

अतः प्रार्थना है कि प्रार्थीया की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रार्थीया को उसकी आराजियात पर आने-जाने के प्रार्थना पत्र मे वर्णितानुसार 30 फीट चौडे रास्ते को राजस्व अभिलेख मे दर्ज किये जाने एवं राजस्व रेकार्ड मे दर्ज रास्ते को खुलासा रखाये जाने/अतिक्रमण मुक्त कराये जाने का आदेश पारित करावें।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षी को नोटिस जारी किये गये। प्रकरण मे तहसीलदार भीलवाडा ने अपने पत्र क्रमांक 468 दिनांक 01.09.2025 से रास्ते का प्रस्ताव प्रस्तुत किया जिसमें अंकित किया है कि ग्राम नौगांवा के आराजी नम्बर 4, 5, 6, 7 व 8 मे आने-जाने हेतु वादी की उपस्थिति मे मौका देखा गया। प्रतिवादी बावजूद सूचना के अनुपस्थित रहे। मौका मुआयना करने पर पाया गया कि आराजी नम्बर 4, 5, 6, 7, 8 मे आने-जाने हेतु न्यूनतम दूरी का रास्ता आराजी नम्बर 18, 21, 1099/26 व 1107/26 मे से 9 मीटर चौडाई का रास्ता दिया जा सकता है अन्य कोई वैकल्पिक मार्ग उपलब्ध नही है। विपक्षीगण कमली पुत्री मोहन भील, गीता पुत्री मोहन भील, देउ पत्नी दीपा, देवीलाल पिता शंकर, पेमा पुत्र सेवा, भैरूलाल पुत्र मोहन, रतनलाल पुत्र शंकर, लीला पुत्री मोहन, सरजू पत्नी शंकर, सीमा पुत्री शंकर भील सा0 गुरलां के नाम पर दर्ज आराजी नम्बर 18 रकबा 0.5059 हैक्टेयर मे से 100 मीटर गुणा 9 मीटर = 0.0900 हैक्टेयर भूमि एवं विपक्षीगण कैलाशी देवी पत्नी श्यामलाल भील, भैरू पुत्र हेमा भील के नाम पर दर्ज आराजी नम्बर 21 रकबा 0.7713 हैक्टेयर मे से 148 मीटर गुणा 9 मीटर = 0.1332 हैक्टेयर भूमि एवं विपक्षीगण गौरी बाई पत्नी किशनलाल मीणा सा0 किशनावतों की खेडी के नाम दर्ज आराजी नम्बर 1099/26 रकबा 0.2766 हैक्टेयर मे से 5 मीटर गुणा 9 मीटर = 0.0045 हैक्टेयर भूमि एवं विपक्षी संख्या 01 के नाम दर्ज बिलानाम आराजी नम्बर 1106/26 रकबा 0.7133 हैक्टेयर मे से 142 मीटर गुणा 9 मीटर = 0.1278 हैक्टेयर भूमि रास्ते हेतु बनती है।

उपखण्ड अधिकारी
भीलवाडा

आराजी 18 [illegible] रास्ते का रकबा 0.0900 हैक्टेयर की डी0एल0सी0 अनुसार कीमत 0.0900 है0 गुणा 1,97,000 /– = 17,730 रूपये बनती है जिसको दुगनी करने पर 35,460 /– रूपये बनती है एवं आराजी नम्बर 21 में से रास्ते का रकबा 0.1332 हैक्टेयर की डी0एल0सी0 अनुसार कीमत 0.1332 है0 गुणा 1,97,000 /– = 26,240 रूपये बनती है जिसको दुगनी करने पर 52,480 /– रूपये बनती है एवं आराजी नम्बर 1099/26 में से रास्ते का रकबा 0.0045 हैक्टेयर की डी0एल0सी0 अनुसार कीमत 0.0045 है गुणा 1,97,000 /– = 887 रूपये बनती है जिसको दुगनी करने पर 1,774 /– रूपये बनती है एवं आराजी नम्बर 1107/26 में से रास्ते का रकबा 0.1278 हैक्टेयर की डी0एल0सी0 अनुसार कीमत 0.1278 है0 गुणा 1,97,000 /– = 25,177 रूपये बनती है जिसको दुगनी करने पर 50,354 /– रूपये बनती है।

प्रकरण में प्रार्थी अधिवक्ता की बहस सुनी गई। प्रार्थी अधिवक्ता ने तहसीलदार भीलवाड़ा से प्राप्त रिपोर्ट स्वीकार करते हुए प्रार्थी रास्ते की भूमि के बदले प्रचलित डी0एल0सी0 दर की दोगुना राशि भुगतान हेतु सहमत है। विपक्षीगण 02 से लगायत [illegible] उपस्थित नहीं इनके विरूद्ध एक तरफा कार्यवाही की गई। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251–ए आर0टी0ए0 का स्वीकार योग्य ठहरता है। अतएव

–: आदेश :–

परिणामस्वरूप प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251(क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम स्वीकार किया जाकर निर्णय दिया जाता है कि तहसीलदार भीलवाड़ा से प्राप्त रिपोर्ट अनुसार ग्राम नीगांवा, पटवार हल्का भोपालगढ़, भू–अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र पुर, तहसील भीलवाड़ा, जिला भीलवाड़ा के आराजी संख्या 04, 05, 06 कुल किता 03 कुल रकबा 1.7576 हैक्टेयर एवं आराजी नम्बर 07, 08 कुल किता 02 कुल रकबा 2.6554 हैक्टेयर में आने–जाने हेतु प्रस्तावित नक्शे अनुसार विपक्षीगण कमली पुत्री मोहन भील, गीता पुत्री मोहन भील, देउ पत्नी दीपा, देवीलाल पिता शंकर, पेमा पुत्र सेवा, भैरूलाल पुत्र मोहन, रतनलाल पुत्र शंकर, लीला पुत्री मोहन, सरजू पत्नी शंकर, सीमा पुत्री शंकर भील सा0 गुरला के नाम पर दर्ज आराजी नम्बर 18 में से प्रस्तावित नक्शे अनुसार 100 मीटर गुणा 9 मीटर = 0.0900 हैक्टेयर भूमि एवं विपक्षीगण कैलाशी देवी पत्नी श्यामलाल भील, भैरू पुत्र हेमा भील के नाम पर दर्ज आराजी नम्बर 21 में से प्रस्तावित नक्शे अनुसार 148 मीटर गुणा 9 मीटर = 0.1332 हैक्टेयर भूमि एवं विपक्षीगण गौरी बाई पत्नी किशनलाल मीणा सा0 किशनावतों की खेडी के नाम दर्ज आराजी नम्बर 1099/26 में से प्रस्तावित नक्शे अनुसार 5 मीटर गुणा 9 मीटर = 0.0045 हैक्टेयर भूमि एवं विपक्षी संख्या 01 के नाम दर्ज बिलानाम आराजी नम्बर 1106/26 में से प्रस्तावित नक्शे अनुसार 142 मीटर गुणा 9 मीटर = 0.1278 हैक्टेयर भूमि सार्वजनिक रास्ते हेतु स्वीकृत किया जाता है।

विपक्षीगण कमली पुत्री मोहन भील, गीता पुत्री मोहन भील, देउ पत्नी दीपा, देवीलाल पिता शंकर, पेमा पुत्र सेवा, भैरूलाल पुत्र मोहन, रतनलाल पुत्र शंकर, लीला पुत्री मोहन, सरजू पत्नी शंकर, सीमा पुत्री शंकर भील सा0 गुरला के नाम पर दर्ज आराजी नम्बर 18 की डी0एल0सी0 अनुसार प्रस्तावित रास्ते की दोगुनी राशि 35,460 /– रूपये एवं विपक्षीगण कैलाशी देवी पत्नी श्यामलाल भील, भैरू पुत्र हेमा भील के नाम पर दर्ज आराजी नम्बर 21 की डी0एल0सी0 अनुसार प्रस्तावित रास्ते की दोगुनी राशि 52,480 /– रूपये एवं विपक्षीगण गौरी बाई पत्नी किशनलाल मीणा सा0 किशनावतों की खेडी के नाम दर्ज आराजी नम्बर 1099/26 की डी0एल0सी0 अनुसार प्रस्तावित रास्ते की दोगुनी कीमत 1,774 /– रूपये एवं विपक्षी संख्या 01 के नाम दर्ज बिलानाम आराजी नम्बर 1107/26 की डी0एल0सी0 अनुसार प्रस्तावित रास्ते की दोगुनी कीमत 50,354 /– रूपये बनती है।

उक्त रास्ते हेतु प्रस्तावित आराजियात की प्रत्येक खातेदार के नाम राजस्व रेकार्ड दर्ज हिस्से अुनसार राशि देय है को जरिये प्रार्थीया द्वारा विपक्षी संख्या 01 से लगायत 14 के नाम (प्रस्तावित आराजी वाईज) डिमाण्ड ड्राफ्ट तहसीलदार भीलवाडा के समक्ष आवेदन के साथ पेश करने की अवस्था मे उक्त राशि अदायगी हेतु तीस योम की अवधि का नोटिस जारी करे उक्त नोटिस की प्राप्ति के पश्चात अर्थात 30 दिवस की अवधि के भीतर भीतर विपक्षीगण उक्त रकम का डिमाण्ड ड्राफ्ट तहसीलदार भीलवाडा के प्राप्त करने हेतु जरिये आवेदन उपस्थित नही होता है तो ऐसी स्थिति मे अविलम्ब उक्त बिलानाम गैर मुमकिन सार्वजनिक रास्ता राजस्व अभिलेख व हॉल नक्शा ट्रेस में अमल दरामद करे। इस रास्ते पर प्रार्थी का कोई खातेदारी अधिकार नही रहेगा केवल आने जाने हेतु उपयोग कर सकेगा। मौके पर रास्ता कायम कर सार्वजनिक रूप से उपयोग उपभोग हेतु खुला रखा जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। तहसीलदार भीलवाडा को तहरीर जारी हो। प्रस्तावित नक्शा ट्रेस निर्णय का पार्ट रहेगा।

निर्णय आज दिनांक 16/2/2026 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले ईजलास सुनाया गया।

(अक्षत कुमार सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
भीलवाडा